राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि/नरेगा/आधार/80830/पार्ट–I   जयपुर, दिनांक : 17 SEP 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं भामाशाह योजना को जोडे जाने के संबन्ध में।**
संदर्भः– **समसंख्यक अ.शा. पत्र क्रमांक दिनांक 21.08.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा आपसे यह आग्रह किया गया था कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के, विशेष रूप से भामाशाह योजना के तहत चयनित पायलेट पंचायत समिति में कार्यरत श्रमिकों के खाते कोर बैंकिंग सुविधा युक्त बैंक शाखा में खोले जाकर इनका इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में दिनांक 31.08.2015 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिये जावे परन्तु आदिनांक की स्थिति के अनुसार सभी श्रमिकों के खाते कोर बैंकिंग सुविधा युक्त बैंक शाखाओं में नही खोले गये है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा आयोजित वी.सी. दिनांक 09.09.2015 में भामाशाह योजना के तहत चयनित पंचायत समिति में कोर बैंकिंग सुविधा युक्त बैंक शाखाओं में खाते खोले जाकर दिनांक 20.09.2015 तक इनका इन्द्राज भामाशाह पोर्टल पर किये जाने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के खाते कोर बैंकिंग सुविधा युक्त बैंक शाखा में खोले जाकर इनका इन्द्राज नरेगा सॉफ्ट में कराये जाने का श्रम करावे।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

भवदीय
17/9/15
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

17/9/15
परि. निदे. एव संयुक्त सचिव, ईजीएस